राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
297 / 23	10.07.2023	18.12.2024

उनवान:

1. रामचन्द्र उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री मोहकम सिंह जाति राजपूत
2. मुन्नी देवी उम्र 64 वर्ष पुत्री श्री मोहकमसिंह जाति राजपूत
3. किशनसिंह उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री मोहकमसिंह जाति राजपूत
4. राजेन्द्रसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री मोहकमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसईभोपालसिंह तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र ओमकार जाति चमार
2. रामेश्वर पुत्र ओमकार जाति चमार
3. सन्तोष पुत्री ओमकार जाति चमार
4. त्रिवेणी पुत्री छोटेलाल जाति चमार
5. निर्मला पुत्री छोटेलाल जाति चमार
6. भत्तो पुत्री छोटेलाल जाति चमार
7. भतेरी पुत्री छोटेलाल जाति चमार
8. मिन्टू पुत्री छोटेलाल जाति चमार
9. राजकिशोर पुत्र छोटेलाल जाति चमार
10. शर्मिला पुत्री छोटेलाल जाति चमार
11. सन्तोष पुत्री छोटेलाल जाति चमार
12. सरीता पुत्री छोटेलाल जाति चमार
13. प्रभू पुत्र माडिया जाति चमार
14. लक्ष्मी पत्नी मुरारी जाति चमार
15. श्योराम पुत्र पूनिया जाति चमार सभी निवासी ग्राम बसईभोपालसिंह तहसील नीमराना नई तहसील माढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड
16. विजयपाल पुत्री गुड्डी पत्नी श्रीराम जाति चमार
17. कंवरपाल पुत्र गुड्डी पत्नी श्रीराम जाति चमार
18. बबली पुत्री गुड्डी पत्नी श्रीराम जाति चमार सभी निवासी ग्राम धानोत तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
19. उप पंजीयक महोदय मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
20. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
21. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188,189 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय।।

पत्रावली पेश हुई। वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 1127 रकबा 0.41 है0, 1128 रकबा 0.10 है0, 1129 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बसईभोपालसिंह

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 मे स्थित है। जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 727 रकबा 1 बिघा 07 बिस्वा, 728 रकबा 07 बिस्वा, 729 रकबा 06 बिस्वा, 730 रकबा 5 बिस्वा, 731 रकबा 11 बिस्वा थे तथा संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 566मि. रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा, 566 मि. रकबा 07 बिस्वा, 566मि. रकबा 3 बिस्वा, 566मि. रकबा 3 बिस्वा, 567 मि. रकबा 5 बिस्वा, 566 रकबा 11 बिस्वा थे। जमाबन्दी संवत 2001 के मुताबिक खसरा नम्बर 566 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा के निष्फ हिस्से के तथा खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण के गैर मोरुषी खातेदार हम वादीगण के बुजूर्ग मोहकमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह व छाजूसिंह पुत्र रामूसिंह ठाकर सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। संवत 2001 की जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारी के अनुसार हम वादीगण के बुजूर्ग मोहकमसिंह एवं सहखातेदार छाजूसिंह द्वारा आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर लिया था जिस बाहमी बंटवारा मे खसरा नम्बर 566,567 हम वादीगण के पिता मोहकमसिंह के हिस्से मे आ गये थे तथा इसी खाता मे अन्य खसरा नम्बर छाजूसिंह पुत्र रामू के हिस्से मे आये थे इसलिए मौके पर खसरा नम्बर 566, 567 पर हम वादीगण के पिता मोहकमसिंह काबिज रहकर काश्त करता रहा और उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी हम वादीगण को हमारे पिता से विरासत मे प्राप्त होने पर हम वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर भी हम वादीगण का ही कब्जा काश्त है। लेकिन संवत 2020 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा हम वादीगण के पिता के कब्जा काश्त व बंटवारा मे आयी भूमि के नये नम्बर 727,728,729,730,731 कायम कर उनकी खातेदारी हम वादीगण के पिता के नाम दर्ज करने की बजाय गलती व लापरवाही से बिना किसी आदेश के व बिना मौके पर कब्जा काश्त के प्रतिवादीगण के बुजूर्गो के नाम से बैजा तोर पर दर्ज कर दी गई । जो गलत खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होता रहा और संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा साबिक खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 1127,1128, 1129 कायम कर बिना मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये ही गलती व लापरवाही से पुर्व रिकार्ड को ही रिपीट करते हुऐ प्रतिवादीगण की खातेदारी मे बैजा तोर पर दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रतिवादीगण एवं उनके बुजूर्गो का आराजी मुतनाजा से कभी भी किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है बल्कि आराजी मुतनाजा के मौके पर पहले हम वादीगण के बुजूर्ग एवं उनके बाद हम वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर काश्त करने मे प्रतिवादीगण या उनके बुजूर्गो द्वारा आज तक हम वादीगण को किसी प्रकार की दिक्कत बाजी नही की गई है। इसलिए हम वादीगण व हमारे बुजूर्गो को आराजी मुतनाजा के गलत इन्द्राजात की जानकारी नही हो पायी थी। लेकिन अब हम वादीगण द्वारा अपनी कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब पता चला की उक्त खसरा नम्बर तो प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। इस पर हम वादीगण आराजी मुतनाजा के साबिक रिकार्ड संवत 2042 व 2020 से पुर्व की जमाबन्दी निकलवाई तब पता चला कि संवत 2020 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा यह गलती की गई है। जिस गलत इन्द्राजात की जानकारी हम वादीगण द्वारा दिनांक 23.06.2023 को प्रतिवादीगण को देकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए तैयार हो गये लेकिन अब दिनांक 26.06.2023 को प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा के गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इंकार

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

कर दिया और आराजी मुतनाजा पर गलत इन्द्राजात के आधार पर जबरन कब्जा करने एवं उसे दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। बन्दोबरत संवत 2020 एवं 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से हम वादीगण के बुजूर्गो की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी को खिलाफ मौका खिलाफ कानून नियम विरूद्ध तरीके से बैजा तोर पर प्रतिवादीगण के बुजूर्गो के नाम से दर्ज कर दी गई। जो गलत इन्द्राज हम वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। जिसे वादी दुरूस्त करवाकर, खातेदारी प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। हम वादीगण द्वारा यह दावा जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया गया है......आदि

वादीगण के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की तामिल पंजाब केसरी अखबार मे प्रकाशित करने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 21 न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 26.06.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर, पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वादी रामचन्द्र के तथा पी.ड.–2 पूरनचन्द यादव पुत्र मितरू अहीर निवासी माजरा व पी.ड. –3 बलबीर पुत्र रामकुवार निवासी बसईभोपालसिंह के बयान शपथ पत्र पेश किये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पत्रावली पर प्रदर्श–1 से प्रदर्श–6 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही की हुई है। इसलिए पत्रावली वास्ते बहस वादीगण नियत की गई।

वकील वादीगण की बसह सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के डिक्री किया जाने के तर्क दिये गये तथा लिखित बहस भी पेश की गई।

हमने वकील वादीगण की मौखिक बहस पर गहनता से मनन किया गया एवं लिखित बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 एवं प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 के मुताबिक जमाबन्दी संवत 2001 के मुताबिक खसरा नम्बर 567 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 566 निष्फ भाग मोहकमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह तथा छाजूसिंह पुत्र रामूसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा संवत 2020 मे खसरा नम्बर 567,566 के नये नम्बर 727,728,729,730,731 कायम कर उसकी खातेदारी चूनिया वल्द हरला कौम चमार साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि साबिक रिकार्ड मे कहीं पर भी चिनिया वल्द हरला के नाम से खातेदारी या काश्त दर्ज रिकार्ड नही है तथा इस बाबत प्रतिवादीगण न्यायालय मे बावजूद तामिल उपस्थित होकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक चूनिया वल्द हरला के नाम से दर्ज ऐन्ट्री गलत दर्ज किया जाने का संदेह पैदा करता है, उक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती रही और संवत 2042 मे उक्त खसरा नम्बरान के नये नम्बर 1127,1128, 1129 कायम किये जाकर उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी चिनिया के पुत्र श्योराम ओमकार छोटेलाल पि. चुनिया के नाम से दर्ज कर दी गई । जो खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

रही है तथा हाल जमाबन्दी मे श्योराम पुत्र पुनिया तथा ओमकार व छोटेलाल के वारिसान के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य मे पेश गवाहो ने आराजी मुतनाजा के मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त होने के कथन किये गये है तथा संवत 2001 की जमाबन्दी मे वादीगण के बुजूर्ग मोहकमसिंह व छाजूसिंह गैर मौरूसी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन संवत 2020 मे खातेदारी ऐन्ट्री बदली गई है जो खातेदारी ऐन्ट्री बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती से बदली जाने का संदेह है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात एवं तथ्यो एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण अवलोकन एवं अध्ययन करने से न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक वादीगण का वाद सावित पाया जाने के कारण डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1127 रकवा 0.41 है0, 1128 रकवा 0.10 है0, 1129 रकवा 0.17 है0 वाके ग्राम वसईभोपालसिंह तह0 मांढण जिला कोटपूतली–वहरोड पर से प्रतिवादी सं0 1 लगा. 15 का एवं गुडडी पुत्री छोटेलाल जाति चमार निवासी वसईभोपालसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर 1127,1128,1129 वाके ग्राम वसईभोपालसिंह के 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 1 को तथा 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 2 को तथा 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 3 को तथा 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 4 को घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमावन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–वहरोड)

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–वहरोड) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
297 / 23	10.07.2023	18.12.2024

उनवानः

1. रामचन्द्र उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री मोहकम सिंह जाति राजपूत
2. मुन्नी देवी उम्र 64 वर्ष पुत्री श्री मोहकमसिंह जाति राजपूत
3. किशनसिंह उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री मोहकमसिंह जाति राजपूत
4. राजेन्द्रसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री मोहकमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसईभोपालसिंह तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

........वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र ओमकार जाति चमार
2. रामेश्वर पुत्र ओमकार जाति चमार
3. सन्तोष पुत्री ओमकार जाति चमार
4. त्रिवेणी पुत्री छोटेलाल जाति चमार
5. निर्मला पुत्री छोटेलाल जाति चमार
6. भत्तो पुत्री छोटेलाल जाति चमार
7. भतेरी पुत्री छोटेलाल जाति चमार
8. मिन्टू पुत्री छोटेलाल जाति चमार
9. राजकिशोर पुत्र छोटेलाल जाति चमार
10. शर्मिला पुत्री छोटेलाल जाति चमार
11. सन्तोष पुत्री छोटेलाल जाति चमार
12. सरीता पुत्री छोटेलाल जाति चमार
13. प्रभू पुत्र माडिया जाति चमार
14. लक्ष्मी पत्नी मुरारी जाति चमार
15. श्योराम पुत्र पूनिया जाति चमार सभी निवासी ग्राम बसईभोपालसिंह तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड
16. विजयपाल पुत्री गुड्डी पत्नी श्रीराम जाति चमार
17. कंवरपाल पुत्र गुड्डी पत्नी श्रीराम जाति चमार
18. बबली पुत्री गुड्डी पत्नी श्रीराम जाति चमार सभी निवासी ग्राम धानोत तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
19. उप पंजीयक महोदय मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
20. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
21. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188,189 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1127 रकबा 0.41 है0, 1128 रकबा 0.10 है0, 1129 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 पर से

प्रतिवादी सं0 1 लगा. 15 का एवं गुडडी पुत्री छोटेलाल जाति चमार निवासी बसईभोपालसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर 1127,1128,1129 वाके ग्राम बसईभोपालसिंह के 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 1 को तथा 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 2 को तथा 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 3 को तथा 1/4 हिस्से का खातेदार वादी सं0 4 को घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0